न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 541/2022 निर्णय दिनांक :–03.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. अभिषेक पुत्र प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकला तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
2. टीना पुत्री प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
3. भागचन्द पुत्र प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिंग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
4. मोना पुत्री प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
5. मोहनी पत्नि प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
6. श्वेता पुत्री प्रकाश जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज०

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. लादू पत्र नानू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0
2. उप पंजीयक / तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थिति –

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादीगण

श्री आलोक शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 592 खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2075 रकबा 2.21 है० कुल किता–3, कुल रकबा 3.36 है0 वाके ग्राम धुवाकलां पटवार क्षेत्र धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज० में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण संख्या 1 व.3 का प्रत्येक का 7/30 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 2, 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है है तथा प्रतिपक्षी नम्बर 1 का 2/5 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से बंटवारा नही हो रखा है जिसके कारण प्रार्थीगण एवं

प्रतिपक्षी नम्बर 1 के मध्य उक्त वर्णित आराजीयात के लगान जमा करने को लेकर एवं उक्त आराजीयात के कब्जे एवं सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नम्बर 1 को उक्त आराजीयात का हिस्से अनुसार सहमति से तकासमा करने के लिये निवेदन किया जिससे उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो परन्तु प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थी के इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा जमीन बेचने के लिये कहा । उक्त प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नम्बर 1 का उक्त वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप कब्जा है तथा प्रतिपक्षी नम्बर 1 बिना विधिवत रूप से बंटवारा हुये उक्त वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की आराजीयात को अन्य किसी को विक्रय करना चाहता है। यदि प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया गया तो मोके पर उक्त वर्णित आराजीयात मे हिस्से व कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढ़ेगी ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी नम्बर 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नोकर चाकर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि को बिना विधिवत रूप से बंटवारा हुये अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। प्रतिपक्षी नम्बर 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नोकर चाकर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि को बिना विधिवत रूप से बंटवारा हुये अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से की हद तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिपक्षी नम्बर 2 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी नम्बर 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 592 खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2074 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2075 रकबा 2.21 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 3.36 है० वाके ग्राम धुवाकलां पटवार क्षेत्र धुवाकलां तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 में अपने हिस्से की भूमि को बिना विधिवत रूप से बंटवारा हुये अन्य किसी को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, प्रार्थीगण के हिस्से की हद तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिपक्षी नम्बर 2 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

किया जावे कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करना स्वीकार है शेष इबारत गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया केस, सुविधा का संतुलन नहीं है बल्कि प्रतिपक्षी के पक्ष मे प्रबल सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिपक्षी ने खसरा नम्बर 2074 व 2075 तन धुवाकलां मे अपना हिस्सा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2022 को सत्यनारायण पुत्र गोपी भील निवासी चूरिया पोस्ट अरणिया केदार तहसील व जिला टोंक को विक्रय कर केता सत्यनारायण को कब्जा संभला दिया है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान से प्रतिपक्षी का कोई लेना देनां शेष नही है। प्रा. पत्र का चरण नं. 3 में प्रतिपक्षी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा ख. नं. 1177 में ही है, अन्य खसरा नम्बरान से प्रतिपक्षी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। मोके पर सभी खसरा नम्बरान मे प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी के मध्य मोखिक रूप से बंटवारा हो रखा था जिसमे प्रतिपक्षी ने खसरा नम्बर 2074 व 2075 में अपना सम्पूर्ण 2/5 हिस्सा का विकय जरिये रजि0 विकय पत्र कर दिया है। शेष खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0 तन धुवाकलां मे प्रतिपक्षी का 2/5 हिस्सा शेष है जिसका मोके पर बंटवारा हो रखा है और प्रतिपक्षी एवं प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी के बीच में कभी भी लगान जमा कराने व सीमा को लेकर विवाद नही हुआ है और ना ही प्रतिपक्षी ने कभी भी विधिवत रूप से तकासमा करने के लिये प्रार्थीगण को मना किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। मोके पर वर्णित आराजीयत प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। मोके पर वर्णित आराजीयात का प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी के मध्य बंटवारा हो रखा है और कब्जे के अनुसार ही प्रतिपक्षी ने खसरा नम्बर 2074 व 2075 मे अपना सम्पूर्ण 2/5 हिस्सा का विक्रय जरिये रजि0 विक्रय पत्र कर दिया है। शेष खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0 तन धुवाकलां मे प्रतिपक्षी का 2/5 हिस्सा शेष है जिसका मोके पर बंटवारा हो रखा है तथा काबिज काश्त है। प्रतिपक्षी उक्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है जिसे न्यायालय द्वारा पाबंद नही किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त आराजी में उज्र नहीं होने से उसकी तामिल की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिवक्ता प्रतिवादी के जवाब अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जमीन का बेचान कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पेश किया जाकर सत्यनारायण को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना की जावेगी। जब तक भूमि की यथास्थिति रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द रखा जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जब अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2074 व 2075 मे अपना सम्पूर्ण 2/5 हिस्सा का विक्रय जरिये रजि0 विक्रय पत्र कर दिया है। इस कारण से ख. नं. 2074 व 2075 से अप्रार्थी को कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इन खसरा नम्बरो के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द करने को कोई ओचित्य नही रह जाता है। शेष खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.10 है0 तन धुवाकलां मे प्रतिपक्षी का 2/5 हिस्सा शेष है जिसका मोके पर बंटवारा हो रखा है तथा काबिज काश्त है। प्रतिपक्षी उक्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है जिसे न्यायालय द्वारा पाबंद नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिंज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम धुंवाकला से पाया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ख. नं. 1177, 2074 व 2075 में सहखातेदार की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2074 व 2075 तन धुवाकलां मे अपना हिस्सा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2022 को सत्यनारायण पुत्र गोपी भील निवासी चूरिया पोस्ट अरणिया केदार तहसील व जिला टोंक को विक्रय कर केता सत्यनारायण को कब्जा संभला दिया है, जिससे ख. नं. 2074 व 2075 से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई लेना देना शेष नही है। उक्त जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा केवल ख. नं. 1177 में ही है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में बताया है कि प्रार्थीगण ने कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा और मौके पर ख. नं. 1177 का हिस्से अनुसार बंटवारा हो रखा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली